न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

GCMS NO. 2017/00196

प्रार्थना पत्र संख्या :– 151/2017

जेर मन्दिर श्री शनिश्चरजी जरिये न्यायमित्र राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र भाताराम जाति गूर्जर निवासी चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... प्रार्थी/आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... अप्रार्थी/अनावेदक

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :–

1. श्री ख्यालीराम सैनी	अभिभाषक	प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार	नायब तहसीलदार खेतड़ी	अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक :– 01–12–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश हुआ है कि :–

1. यह कि ग्राम चिरानी पटवार हल्का राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं स्थित आराजी खाता संख्या 61 के खसरा नं. 480 रकबा 0.20 है, एवं खसरा नं. 721 रकबा 0.51 है. कृषि भूमि जेर मन्दिर श्री शनिश्चरजी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि उक्त वादवर्णित कृषि भूमि सम्वत् 2014 के खाता संख्या 97 के खसरा नं. 362 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 421 रकबा 2बीघा कास्तकार के रूप में भातिया पुत्र रामू जो न्यायमित्र आवेदक राजेन्द्र का नाना था, वही उक्त भूमि पर काबिज कास्त चला आ रहा था। जो जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 33 तक में भी भाता पुत्र रामू के कब्जेकास्त कार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि उक्त आराजी सम्वत् 2050 से राजेन्द्र कुमार के दत्तक पिता भाता के कब्जेकाश्त में उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वह शामिल ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Page 1 of 4

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

(3) ....

Scanned with OKEN Scanner

बिना किसी बाधा के निरन्तर रूप से काबिज कास्त करता चला आ रहा है।

4. यह कि वांदवर्णित कृषि भूमि सम्वत् 2022 एवं 2030 से 2033 की जमाबन्दी में भी न्यायमित्र आवेदक के दत्तक पिता भाता पुत्र रामू रिकार्डेड खातेदार कबिजकास्त रहा है। तथा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा भी आवेदक राजेन्द्र कुमार के दत्तकपिता भाता को ही काबिज कास्त माना गया है। जिसकी फोटाप्रति संलग्न है।
5. यह कि वादवर्णित कृषि भूमि हाल सैटलमेन्ट में जेर मन्दिर श्री शनिश्चरजी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें आवेदक अपने पिता भाता के जीवनकाल से ही काबिजकास्त चला आ रहा है। इसलिए आवेदक का वा. दवर्णित कृषि भूमि के हाल नक्सा दुरूस्त करवाने का विधिक अधिकार होने से जरिये न्यायमित्र उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है।
6. यह कि वादवर्णित कृषि भूमि के गत् खसरा नं. 421 रकबा 2 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 721 रकबा 0.51 हैक्टर बने है जिसके मिलान क्षेत्रफल की कोपी संलग्न है।
7. यह कि वादवर्णित कृषि भूमि का गत् खसरा नं. 421 का नक्सा ट्रेस एवं हाल खसरा नम्बर 721 के नये ट्रेस की दक्षिणी एवं पश्चिमी भुजा को कम कर दिया है। इस बाबत आवेदक को जानकारी भूमि खसरा नं. 720 के सहखातेदार बुद्धराम पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी जखराणा के द्वारा अपने खेत खसरा नं. 720 का सीमाज्ञान करवाने पर बुद्धराम ने आवेदक के खेत खसरा नं. 721 के 18 मीटर अन्दर तक सीमा ज्ञान करवाये जाने से नक्शा ट्रेस गलती की जानकारी होने से आवेदक ने गत खसरा नं. 421 के हाल खसरा नं. 721 का पुराना व नया नक्शा ट्रेस की नकल लेने से मालुम पड़ा कि हाल सैटलमेन्ट द्वारा आवेदक खेत के नक्शा ट्रेस की दक्षिणी व पश्चिमी भुजा को कम कर नक्से में नक्से में दर्शाया है जिसकी जानकारी होने पर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान्जी के यहां दावा दुरूस्ती नक्शा ट्रेस करवाना आवश्यक हुआ।
8. यह कि हाल सैटलमेन्ट ने गलत रूप से आवेदक की कृषि भूमि के नक्शा ट्रेस में दक्षिणी, पश्चिमी भुजा कम कर दी है। इसलिए आवेदक को हाल नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाने हेतु गत माह पुराने व नये नक्शा ट्रेस की नकल लेकर आवेदक को श्रीमानजी की सेवा में उक्त आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। वैसे भी नक्शा ट्रेस दुरूस्ती हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नही है। फिर भी आवेदक अन्दरमियाद यह आवेदन पत्र पेश कर रहा है।
9. यह कि हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त नही होने पर आवेदक को ऐसी हानि एवं क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा में नही ... सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

10. यह कि आवेदन पत्र हाल जमाबन्दी एवं हाल नक्शा ट्रेस के नकल लेकर यह आवेदन पत्र पेश कर रहा हूं। जिसके बाद में कोई किसी प्रकार का रेवेन्यू दस्तावेजों में परिवर्तन नही हुआ है।

11. यह कि उक्त वादवर्णित कृषि भूमि ग्राम चिरानी पटवार हल्का राजोता तहसील खेतड़ी में स्थित है। जो श्रीमानजी के सीमाक्षेत्राधिकार मंस होने से उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई का श्रीमानजी को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

12. यह कि आवेदक का शपथ पत्र पेश है ।

13. यह कि आवेदन पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर पेश है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल नक्शा ट्रेस को पूर्ववत्त नक्शा ट्रेस सम्वत 1938–39 की भांती नक्शा ट्रेस दुरूस्त करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी से प्रकरण में वर्णित तथ्यों के संबंध में जांच रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार खेतड़ी ने अपने पत्रांक भू0अ0/2019/44 दिनांक 07.01.2019 के सलंग्न पटवारी हल्का राजोता की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2018 इस आशय की भिजवाई है कि भूमि खसरा नम्बर 721 राजस्व ग्राम लगरियावाला की चालू जमाबन्दी खाता संख्या 14 में जेर मन्दिर श्री शनिश्चर जी वाके कस्बा खेतड़ी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 721 रकबा 0.51 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 रकबा 0.32 हेक्टेयर व बारानी–3 रकबा 0.19 हेक्टेयर जो मिलान क्षेत्रफल में उक्त वादवर्णित कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 421 रकबा 2 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 721 रकबा 0.51 हेक्टेयर बने है। गत पैमाईश सन् 1938–39 के नक्शा किश्तवार में गत खसरा नम्बर 421 की पश्चिमी भूजा 64 मीटर व दक्षिणी भूजा 88 मीटर तथा हाल पैमाईश सन् 1979–80 के नक्शा किश्तवार में पश्चिमी भूजा मोड़ खाकर 68 मीटर व दक्षिणी भूजा 70 मीटर लगभग आती है एवं मौके पर नाप करने पर उक्त खसरा नम्बर 721 की पश्चिमी भूजा 64 मीटर व दक्षिणी भूजा 88 मीटर है जो गत पैमाईश से मेल खाती है तथा मौके पर उक्त खेत खसरा नम्बर 721 की उक्त वर्णित भूजाओं में पश्चिम भूजा (डोल) पर पुराने पेड़ यथा आडू के पेड़ खड़े है। उपस्थित व्यक्तियों ने भी बताया कि उक्त पश्चिमी डोल लगभग 50–60 वर्षो से इसी जगह है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एवं दक्षिणी भूजा पर पक्का डोल (डण्डा) तथा कुछ दूरी पर पुराने पेड़ खड़े हुये है। यह भी पुरानी डोल बता रहे है। अतः उक्त खेत खसरा नम्बर 721 की भूजा गत पैमाईश सन् 1938–39 के नक्शे से मेल खाती है।

प्रार्थी ने राजस्व साक्ष्य अभिलेख में जिला कार्यालय झुंझुनूं से जारी नकल नक्शा सीट सन् 1979–80 ग्राम चिरानी खसरा नम्बर 721 प्रतिलिपि क्रमांक 2627 दिनांक 14.06.2016, नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 14 राजस्व ग्राम लगरियावाला, नकल नक्शा किश्तवार ग्राम चिरानी व लगरियावाला सन् 1979–80 खसरा नम्बर 721 जारी पटवारी [illegible]ोता प्रतिलिपि क्रमांक 1445 दिनांक 06.06.2017, नकल नक्शा सीट सन् [illegible]39 खसरा नम्बर 421 राजस्व ग्राम चिरानी जारी प्रतिलिपि [illegible] 11.06.2004, नकल मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

(3) ....

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 421 हाल खसरा नम्बर 721 रकबा 0.51 हेक्टेयर पेश किये गये।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार खेतड़ी के पत्रांक भू0अ0/2019/44 दिनांक 07–01–2019 के संलग्न पटवारी हल्का राजोता की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2018 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग मानते हुये उनके द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसार राजस्व ग्राम लगरियावाला स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर 721 नक्शा सीट 1979–80 को गत खसरा नम्बर 421 मौजा चिरानी की नक्शा सीट सन् 1939–40 के अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। गत नक्शा सीट पर हाल नक्शा सीट को रखकर सुपरइम्पोज करने पर पाया कि हाल नक्शा सीट सन् 1979–80 गत नक्शा सीट सन् 1939–40 के अनुसार सही नहीं है। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पेश पटवारी हल्का राजोता की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2018 व अधिवक्ता प्रार्थी की दलीलों से प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र संदेह से परे साबित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार किये जाने योग्य है। लिहाजा

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम लगरियावाला स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 721 रकबा 0.51 हेक्टेयर की सीमाओं को गत नक्शा शीट सन् 1939–40 ग्राम चिरानी तहसील खेतड़ी के अनुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का भूमिधारी तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner